



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126383

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 16851 वर्ष 2026

आस मोहम्मद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : मुकेश चंद्र गुप्ता, शुभम प्रकाश गुप्ता

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 5

माननीय संजीव कुमार, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और पत्रावली पर प्रस्तुत सामग्री का भी अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से पुलिस थाना- लिसाड़ी गेट, जिला मेरठ में मु.अ.सं. (मुकदमा अपराध संख्या)/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 611 वर्ष 2025, बी.एन.एस., 2023 की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-सी, 66-डी और भारतीय दूरसंचार अधिनियम की धारा 42(1), 42(2)ए, 42(3), (बी)(सी)(डी)(ई)(एफ), 42(6) के तहत उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है, उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



07.09.2025 से जेल में है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-आरोपी, अर्थात् कासिम को इस न्यायालय की समान अधिकारिता वाली पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 42808 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। इन परिस्थितियों में, आवेदक भी जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. तर्कों के दौरान, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष सह-आरोपी, अर्थात् कासिम के जमानत आदेश की एक छायाप्रति प्रस्तुत की, जिसे पत्रावली पर लिया जाता है।
5. विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है लेकिन निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया है कि समान स्थिति वाले सह-आरोपी ? को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए और पत्रावली के साथ-साथ सह-आरोपी के आदेश का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि यह जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। समानता के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
7. उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक- आस मोहम्मद को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए, एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - (i) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जिसका वह आरोपी है, या जिसके घटित होने का उस पर संदेह है।
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक इस आशय का एक वचनबद्ध पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और कानून के अनुसार आदेश पारित करने का विकल्प खुला रहेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए (तदनुरूप बी.एन.एस. की धारा 269) के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए (तदनुरूप बी.एन.एस. की धारा 209) के तहत कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक (1) मामले के खुलने, (2) आरोप तय होने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (तदनुरूप बीएनएसएस की धारा 351) के तहत बयान दर्ज होने के लिए निर्धारित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही करने का विकल्प खुला रहेगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

जून 9, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ए.एन. मिश्रा

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।